

up to 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.				
--	--	--	--	--

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 4. Director, Zoological Survey of India, Kolkata -Chairman; 5. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata - Member; 6. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata -Member	Not applicable

[F. No. 02-18/2012-csz]

JEROME MINZ, Dy. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि. 718 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1963 को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण में प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण, (प्रयोगशाला सहायक) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4606 GE/13-4

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अहर्ताएं**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहर्ता** : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रयोगशाला सहायक	48* (2013) * 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है'।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' पद (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 1: 5200-20200रु + ग्रेड वेतन 2000रु	अचयन	27 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण 1:</b> — आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निश्चित की गई अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। <b>टिप्पण 2:</b> — रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>आवश्यक:</b> — (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में जीव विज्ञान सहित हायर सेकेंडरी (10+2 वर्षीय पाठ्यक्रम) या समतुल्य; <b>वांछनीय:</b> — (1) प्राणिविज्ञान प्रयोगशाला में उपसकर की उठाई-धराई और अनुसरण से परिचित हो। (2) प्राणिविज्ञान संबंधी स्थिरीकर और अभिरंजन (स्टेन) तैयार करने का ज्ञान; (3) हिन्दी पढ़ने और लिखने की योग्यता। <b>टिप्पण 3:</b> — अनुभव संबंधी अर्हता (अहर्ताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त या आमेलन किया जाएगा
8	9	10	11
आयु: नहीं। शैक्षिक अहर्ताएं: नहीं, किन्तु विज्ञान के साथ कम से कम मैट्रिकुलेशन की शैक्षिक अहर्ता होनी चाहिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधे भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत। वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु और ग्रेड वेतन 1800 रु में अन्य समूह "ग" पदधारियों में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 25 प्रतिशत।	प्रोन्नति:- (1) श्रेणी में तीन वर्ष सेवा करने वाले फील्ड सहायकों में से 50 प्रतिशत। (2) वेतन बैंड- 1, 5200-20,200 रु और ग्रेड वेतन 1800 रु में समूह "ग" ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो, ऐसे सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 25 प्रतिशत।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
दोनों प्रोन्नति या पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति-समिति।	लागू नहीं होता।
(i) निदेशक, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता - अध्यक्ष;	
(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सम्पर्क अधिकारी - सदस्य;	
(iii) भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण का विभागीय अध्यक्ष - सदस्य;	
(iv) भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण का विभागीय अध्यक्ष - सदस्य;	

[फा. सं. 02-014/2012-सी.एस.जैड]

जेरोम मिंज, उप-सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2013

**G.S.R. 718 (E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Class- III posts) Recruitment Rules, 1963, in so far as they relate to the post of Laboratory Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Laboratory Assistant in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment and Forests, namely:—

1. **Short title commencement**—(1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forest, the Zoological Survey of India (Laboratory Assistant), (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** — The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.** — The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

4606 GE/13-5

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay, pay scale.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laboratory Assistant	*48 (2013) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group –'C' Posts, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-I Rs. 5,200-20,200/- plus grade pay Rs. 2,000/-	Non-Selection	Not exceeding 27 years (relaxable for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.  Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, union territories of Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Higher Secondary (10+2 years course) or equivalent with Biology as one of the subjects from a recognised Board of University.</p> <p><b>Desirable :</b></p> <p>(i) Familiarity with handling and maintenance of equipment in a zoological laboratory.</p> <p>(ii) Knowledge of preparing zoological fixatives and stains.</p> <p>iii) Ability to read and write Hindi.</p> <p><b>Note :</b> Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Age: No</p> <p>Educational Qualification : No, but must possess at least the educational qualification of Matriculation with Science or equivalent.</p>	<p>Two years for direct recruits.</p>	<p>50 % by Direct Recruitment through SSC.</p> <p>25 % by limited Departmental Competitive Examination among other Group-'C' incumbents in pay band-1 of Rs.5200-20,200/- plus grade pay Rs.1800.</p>

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion :</b></p> <p>i) 50% from Field Assistant with 3 years' service in the grade.</p> <p>ii) 25% by Limited Departmental Competitive Examination among other Group-'C' incumbents in PB-I of Rs.5200-20,200 with GP Rs.1800 having 3 years service in the grade.</p>	<p><b>Group-'C' Departmental Promotion Committee for both Promotion or confirmation :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, Zoological Survey of India Kolkata -Chairman</li> <li>2. Liaison Officer for the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class -Member</li> <li>3. Head of Office, Botanical Survey of India or Geological Survey of India -Member</li> <li>4. Head of Office, Zoological Survey of India. -Member</li> </ol>	<p>Not applicable.</p>

[F. No. 02-14/2012-csz]

JEROME MINZ, Dy. Secy.